न्यायालय आर्बिट्रेटर (जिला कलक्टर) नागौर
पीठासीन अधिकारी–कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस.

भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना पत्र संख्या–52/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्रीमति रामेश्वरी देवी पत्नी श्री लालचंद जाति माली निवासी गोरेड़ी चाचा तहसील डेगाना जिला नागौर		1. परियोजना निर्देशक एवं अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0 रा0उ0मार्ग खण्ड जयपुर कार्यालय जयपुर क्लब के सामने, जयपुर। 2. परियोजना निर्देशक एवं अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0 रा0रा0 मार्ग, पी.पी.पी. मेड़ता जिला नागौर। 3. अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर। 4. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प.का.ई., अजमेर।

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री भवरलाल चौधरी।
2. अप्रार्थी 4 की ओर से वकील राकेश धनकड़ एवं अनिल गौड़।
3. अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

आदेश

दिनांक: 05/06/18

1–प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–458 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 139.900 निम्बीजोधा से जस्साखेड़ा खण्ड में (नागौर सेक्शन) तक के भू खण्ड निर्माण (चौड़ा करने 2 लाईन बनाने आदि) के लिए भूमि की अवाप्ति हेतु एन.एच. एक्ट 1956 की धारा 3G के तहत पारित आंशिक अवार्ड दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत दिनांक 08.10.2015 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया ।

2–प्रकरण में वकील अप्रार्थी संख्या–4 ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा हस्तगत मध्यस्थता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित आंशिक अवार्ड दिनांक 15.07.2015 चुनौती दी गई है, जबकि उक्त आंशिक अवार्ड दिनांक 15.07.2015 को संशोधित कर दिनांक 16.10.2015 को संशोधित अवार्ड पारित कर पूर्व में पारित अवार्ड से अधिक राशि का अवार्ड पारित कर दिया गया है एवं संरचना के संबंध में दिनांक 6.5.2016 को अवार्ड पारित कर दिया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अवार्ड दिनांक 15.07.2015 सारहीन एवं प्री–मैच्योर हो जाने संबंध में अप्रार्थीगण की प्रारम्भिक आप्पति पर बहस सुनी जाकर यथोचित आदेश पारित किया जाना उचित होने का कथन किया।

3–राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने भी वकील अप्रार्थी संख्या 4 के कथन का समर्थन करते हुऐ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन एवं प्री–मैच्योर होने प्रारम्भिक आप्पति पर पक्षकारान की बहस सुनी जाने का निवेदन किया।

कलक्टर, नागौर

4–वकील अप्रार्थी संख्या–4 तथा राजपैरोकार किये गये कथन उचित होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मध्यस्थता प्रार्थना पत्र सारहीन होने एवं प्री–मैच्योर होने के संबंध में प्रारम्भिक आपत्ति पर वकुलाय बहस सुनी गई।

नागौर (राजस्थान)

5– वकील अप्रार्थी सं. 4 ने अपनी बहस में स्वंय द्वारा प्रस्तुत जबाब की प्रारम्भिक आपत्ति के बिन्दु संख्या 15 व 16 में किये गये कथनों को दौहराते हुए कथन किया कि–

5(1)– प्रार्थी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत प्रार्थी के प्रकरण में भूमि अवाप्ति किये जाने हेतु पारित आंशिक अवार्ड दिनांक 15.07.2015 को संशोधित/परिवर्तित किये जाने हेतु अनुतोष चाहा गया। दिनांक 15.07.2015 को आंशिक अवार्ड पारित किये जाने के पश्चात भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के लागू हो जाने के पश्चात जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिनांक 01.01.2015 को लागू किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 26 के अनुसरण में पूर्व पारित आंशिक अवार्ड दिनांक 15.07.2015 को संशोधित कर दिनांक 16.10.2015 को संशोधित अवार्ड पारित कर दिया गया है, जिसके द्वारा पूर्व में पारित अवार्ड में दी गई राशि से अधिक राशि का अवार्ड पारित किया गया है। तत्पश्चात् सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि में स्थित संरचनाओं के सन्दर्भ में भी दिनांक 6.5.2016 को समुचित अवार्ड पारित कर दिया गया है। इस प्रकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत अवाप्त की गई भूमि के सन्दर्भ में सर्वप्रथम दिनांक 15.7.2015 को आंशिक अवार्ड पारित किया गया, तत्पश्चात दिनांक 16.10.2015 को संशोधित अवार्ड पारित किया गया व दिनांक 6.5.2016 को सरंचना की मुआवजा राशि का अवार्ड पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनियम 1956 की धारा 3क के अनुसरण में अवाप्त की गई भूमि के सन्दर्भ में अंतिम अवार्ड दिनांक 6.5.2016 को पारित किया जा चुका है। जबकि प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से दिनांक 15.07.2015 को पारित आंशिक अवार्ड को संशोधित/परिवर्तित किये जाने हेतु अनुतोष चाहा गया है जो कि प्रीमैच्योर है क्योकि उक्त आंशिक अवार्ड के पश्चात सक्षम अवाप्ति अधिकारी द्वारा संशोधित अवार्ड दिनांक 16.10.2015 व संरचनाओं का अवार्ड दिनांक 6.5.2016 को पारित किया गया है। परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त दोनों अवार्ड पारित किये जाने से पूर्व ही केवल मात्र आंशिक अवार्ड दिनांक 15.07.2015 को चुनौती दी गई है, जिसको दिनांक 16.10.2015 को सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संशोधित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में अवार्ड दिनांक 15.07.2015 अस्तित्व में नहीं रहा है। प्रार्थी द्वारा आंशिक अवार्ड दिनांक 15.07.2015 को चुनौती दिया जाना कानूनी रूप से प्रथम दृष्टया विधि बाधित होने के कारण आवेदन पत्र सारहीन व प्रीमैच्योर होने के कारण पोषणीय नहीं है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

5(2)– विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में चाहा गया अनुतोष प्रकरण में पश्चातवर्ती घटनाकम के कारण सारहीन हो जोवे तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष भी सारहीन हो जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी अभिनिर्धारित निर्णयों में यही व्यवस्था दी है कि यदि प्रकरण में चाहा गया अनुतोष किसी पश्चातवर्ती घटना के आधार पर सारहीन हो जावे तो इस प्रकार के प्रकरणों को सारहीन होने से पोषणीय नहीं होना मानते हुए खारिज किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार विधि के उक्त सुस्थापित सिद्धान्त की रोशनी में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत आवेदन पत्र संशोधित अवार्ड दिनांक 16.10.2015 व संरचनाओं के अवार्ड दिनांक 06.05.2016 की रोशनी में सारहीन हो चुका है, जो खारिज किये जाने योग्य है। विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा वह अनुतोष नहीं दिया जा सकता जो कि प्रार्थना पत्र में वर्णित ही नहीं गया है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुतोष से बाहर जाकर अनुतोष प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है जो किसी भी आधार चलने योग्य नहीं है इसलिए प्रार्थी का आवेदन पत्र इस आधार पर भी खारिज किये जाने योग्य होने का कथन करते हुऐ प्रार्थी प्रस्तुत मध्यस्थता प्रार्थना सारहीन, प्रीमैच्योर एवं पोषणीय नहीं होन से खारिज करने का निवेदन किया।

कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

5(3)– राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने भी अपनी बहस में वकील अप्रार्थी संख्या 4 की बहस का पुरजोर समर्थन करते हुऐ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मध्यस्थता प्रार्थना पत्र सारहीन, प्रीमैच्योर एवं पोषणीय नहीं होने से खारिज करने का निवेदन किया।

6–वकील प्रार्थी ने वकील अप्रार्थीगण की बहस का विरोध करते हुए कथन किया की हस्तगत प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही कर अवार्ड दिनांक 15.07.2015 पारित किया गया है, न कि अवाप्ति की कार्यवाही तत्पश्चात पारित अवार्ड दिनांक 16.10.2015 एवं 06.05.2015 के द्वारा की गई है, इसलिए अवार्ड दिनांक 15.07.2015 भी प्रभावी होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र सारहीन एवं प्रीमैच्योर नहीं माना जा सकता है, का कथन करते हुऐ अप्रार्थीगण की उक्त प्रारम्भिक आपत्ति को निरस्त करने का निवेदन किया।

7–वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक एस.सी.सी. (2004)–11 पेज 168 का अद्योपान्त अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार–

7(1)– प्रकरण में प्रार्थी द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित आंशिक अवार्ड दिनांक 15.07.2015 को संशोधित/परिवर्तित किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया। परन्तु तत्पश्चात भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के लागू हो जाने से उक्त अधिनियम की धारा 26 के तहत आंशिक अवार्ड दिनांक 15.07.2015 के सन्दर्भ में दिनांक 16.10.2015 को संशोधित अवार्ड पारित कर पूर्व अवार्ड में पारित राशि से अधिक राशि अवार्ड पारित किया जा चुका है एवं संरचनाओं का अवार्ड दिनांक 06.05.2016 को पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का मध्यस्थता प्रार्थना पत्र प्रीमेच्योर एवं सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त वकील अप्रार्थीगण का यह कथन की प्रकरण में चाहा गया अनुतोष पश्चातवर्ती घटना के आधार पर सारहीन हो जावे तो इस प्रकार के प्रकरणों को सारहीन होने से खारिज किया जाना आवश्यक है। वकील अप्रार्थीगण के उक्त कथन को उनके द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टान्त से भी बल मिलता है। उपरोक्त परिस्थितियों एवं घटनाक्रम के सन्दर्भ में वकील अप्रार्थी के कथन पूर्णतया विधि सम्मत एवं उचित प्रतीत होते है। वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस से वकील अप्रार्थी के कथनों के खण्डन स्वरूप ऐसा कोई ठोस तथ्य प्रकट नहीं किया गया है, जिससे की वकील अप्रार्थीगण की प्रारम्भिक आपत्ति को निरस्त किया जा सके।

7(2)–अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मध्यस्थता प्रार्थना पत्र प्रीमैच्योर एवं सारहीन होना पाये जाने से खारिज किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में पक्षकारों के मध्य विवाद के समाधान हेतु मध्यस्थता के जरिये हल करने के संबंध में मध्यस्थ नियुक्त किये गये है। इसलिए प्रार्थी के प्रकरण में सहानूभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्रार्थी को उपरोक्तानुसार संशोधित अवार्ड दिनांक 16.10.2015 एवं संरचनाओं के संबंध में पारित अवार्ड दिनांक 06.05.2016 से असहमत होने पर उक्त संबंध में नये सिरे से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र रखा जाता है।

7(3)–आदेश सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर,
नागौर

कलक्टर, नागौर